# विनिवेश विभाग

# के लिए

# परिणाम ढांचा दस्तावेज

# (आरएफडी)

# (2011-2012)

## खंड 1 :

## परिकल्पना, मिशन, उद्देश्य और कार्य

### परिकल्पना

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से जन -स्वामित्व को बढ़ावा देना और सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन निर्मुक्त करना।

### मिशन

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के असूचीबद्ध और लाभ कमाने वाले सभी उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना और सूचीबद्ध किए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आम जनमानस की शेयरधारिता में वृद्धि करना ताकि निम्नलिखित में सुविधा प्राप्त हो सकेः
(क) निगमित नियंत्रण में सुधार।
(ख) उच्च प्रकटीकरण स्तर जिससे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही आए।
(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में बाजार अनुशासन लाना।
(घ) सभी शेयरधारकों नामतः निवेशकों, कर्मचारियों, कंपनी तथा सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना।
2. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यमों को (जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते) सरकार द्वारा बिक्री की पेशकश या सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन के माध्यम से इस शर्त का अनुपालक बनाया जाना।
3. भारत सरकार की शेयरधारिता का मामला -दर-मामला आधार पर किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विनिवेश।

### उद्देश्य

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में खुदरा निवेशकों की बृहत्तर भागीदारी के माध्यम से जन -स्वामित्व को बढ़ावा देना।
2. सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि करना ।
3. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सुनिश्चित करना।
4. विनिवेश प्रक्रिया के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना।
5. सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से अल्पांश शेयरों की बिक्री हेतु ढांचे तथा प्रक्रिया की उपयुक्त संदर्भ सामग्री सृजित करना।
6. बजटीय संसाधन जुटाना।
7. राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह को कम किए बिना इससे सरकार को स्थायी आय प्रदान करना।
8. XXX

**कार्य**

1.(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले। (ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में, बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले; **टिप्पणीः** पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

2. पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

3. सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

4. विनिवेश आयोग ।

5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम; और

6. राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2011-2012)

## भाग - 2

## मुख्य उद्देश्यों में पारस्परित प्राथमिकताएं सफलता सूचक और लक्ष्य

| उद्देश्य | भारिता | कार्रवाई | सफलता सूचक | इकाई | भारिता | लक्ष्य/मानदंड मूल्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | ठीक | घटिया |
| | | | | | | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
| (1) विनिवेश प्रक्रिया के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना। | 5.00 | (1.1) ब्रोकरों, कोष प्रबंधकों और निवेशक संघों/ के साथ बैठकें आयोजित करना। | (1.1.1) आयोजित बैठकों/सम्मेलनों की संख्या | संख्या | 5.00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| (2) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से अल्पांश शेयरों की बिक्री के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं की उपयुक्त संदर्भ सामग्री तैयार करना। | 10.00 | (2.1) विनिवेश प्रक्रिया और समाविष्ट चरणों संबंधी मार्ग - दर्शिका तैयार करना। | (2.1.1) मार्गदर्शिका का विमोचन। | दिनांक | 10.00 | 31/5/2011 | 15/6/2011 | 01/7/2011 | 15/7/2011 | 01/8/2011 |
| (3) राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह को कम किए बिना इससे सरकार को स्थायी आय प्रदान करना। | 5.00 | (3.1) राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह का निवेश | (3.1.1) राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह पर आय की दर | % | 5.00 | 10.00 | 8.5 | 8.00 | 7.5 | 7.0 |
| • आरएफडी प्रणाली का दक्ष संचालन। | 5.00 | अनुमोदन के लिए मसौदे का समय पर प्रस्तुतीकरण। | समय पर प्रस्तुतीकरण | दिनांक | 2.0 | 20/5/2011 | 23/5/2011 | 25/5/2011 | 26/5/2011 | 03/6/2011 |
| | | परिणाम समय पर प्रस्तुत करना। | समय पर प्रस्तुतीकरण | दिनांक | 1.0 | 02/5/2012 | 03/5/2012 | 04/5/2012 | 05/5/2012 | 06/5/2012 |
| | | रणनीतिक योजना को अंतिम रूप देना। (सभी मध्यवर्ती सीमाओं का पालन करने के बाद) | अगले 5 वर्षों के लिए रणनीतिक योजना को अंतिम रूप देना | दिनांक | 2.0 | 10/12/2011 | 15/12/2011 | 20/12/2011 | 24/12/2011 | 31/12/2011 |
| • मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/प्रतिक्रियात्मकता/पारदर्शिता/ | 4.00 | सेवोत्तम का कार्यान्वयन | सिटीजन/क्लाइंट चार्टर के | दिनांक | 1.0 | 10/12/2011 | 15/12/2011 | 20/12/2011 | 24/12/2011 | 31/12/2011 |

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2011-2012)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेवा प्रदायगी में सुधार करना। | | | कार्यान्वयन, मॉनीटर करना और उसकी समीक्षा करने के लिए एक सेवोत्तम अनुकूल प्रणाली का सृजन करना। | | | | | | | |
| | | | जन-शिकायतों के समाधन और मॉनीटर करने के लिए एक सेवोत्तम अनुपालक प्रणाली का सृजन करना। | दिनांक | 1.0 | 10/12/2011 | 15/12/2011 | 20/12/2011 | 24/12/2011 | 31/12/2011 |
| | | सभी उत्तरदायी केन्द्रों (अधीनस्थ कार्यालय, संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकायों) के लिए आरएफडी विकसित करना। | शामिल उत्तरदायी केन्द्रों की प्रतिशतता | % | 2.0 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| वित्तीय उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना। | 2.00 | सीएजी के लेंखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) का समय पर प्रस्तुतीकरण | वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा रिपोट के संसद में प्रस्तुतीकरण् की तारीख़ से नियत तारीख (4 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत | % | 0.5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| | | संसद में प्रस्तुत सीएजी की रिपोटों के लेंखापरीक्षा पैराओं पर लम्बित एटीएन का 31.03.2011 से पूर्व | वर्ष के दौरान बकाया एटीएन को निपटाने का प्रतिशत | % | 0.5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2011-2012)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शीघ्र निपटान | | | | | | | | |
| | | संसद में प्रस्तुत पीएसी की रिपोटों के संबंध मे लम्बित एटीआर का 31.03.2011 से पूर्व शीघ्र निपटान | वर्ष के दौरान बकाया एटीआर को निपटाने का प्रतिशत | % | 0.5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| | | पीएसी की रिपोटों के संबंध में पीएसी सचिवालय को, की गई कार्रवाई रिपोटों(एटीआर) का समय पर प्रस्तुतीकरण | वर्ष के दौरान नियत तारीख (पीएसी द्वारा रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुतीकरण् की तारीख़ से 6 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत | % | 0.5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| • प्रशासनिक सुधार | 4.00 | संगठन की गतिविधियों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना का विकास करना। | भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना। | दिनांक | 2.0 | 10/12/2011 | 15/12/2011 | 20/12/2011 | 24/12/2011 | 31/12/2011 |
| | | आरटीआई अधिनियम, 2005 के खंड 4(1) (ख) का अनुपालन सुनिश्चित करना। | उन मदों की संख्या जिनके संबंध में 10 फरवरी, 2012 तक जानकारी अपलोड की गई है। | संख्या | 2.0 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |

- अनिवार्य उद्देश्य

**भाग - 3**

**सफलता सूचकों के प्रचलित मूल्य**

| उद्देश्य | कार्रवाई | सफलता सूचक | इकाई | वित्त वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य | वित्त वर्ष 11/12 के लिए लक्षित मूल्य | वित्त वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य | वित्त वर्ष13/14 के लिए अनुमानित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) विनिवेश प्रक्रिया के बारे में जनता को जागरूक करना। | (1.1) ब्रोकरों, कोष प्रबंधकों और निवेशक संघों/ के साथ बैठकें आयोजित करना। | (1.1.1) आयोजित बैठकों/सम्मेलनों की संख्या | संख्या | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 |
| (2) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से अल्पांश शेयरों की बिक्री के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं की उपयुक्त संदर्भ सामग्री तैयार करना। | (2.1) विनिवेश प्रक्रिया और समाविष्ट चरणों संबंधी मार्ग - दर्शिका तैयार करना। | (2.1.1) मार्गदर्शिका में संशोधन करना। | दिनांक | -- | -- | 15/6/2011 | -- | -- |
| (3) राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह को कम किए बिना इससे सरकार को स्थायी आय प्रदान करना। | (3.1) राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह का निवेश | (3.1.1) राष्ट्रीय निवेश कोष के संग्रह पर आय की दर | % | 8.58 | 10 | 8.5 | 8 | 8 |
| * आरएफडी प्रणाली का दक्ष संचालन। | अनुमोदन के लिए मसौदे का समय पर प्रस्तुतीकरण। | समय पर प्रस्तुतीकरण | दिनांक | -- | -- | 23/5/2011 | -- | -- |
| | परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना। | समय पर प्रस्तुतीकरण | दिनांक | -- | -- | 3/5/2012 | -- | -- |
| | रणनीतिक योजना को अंतिम रूप देना। (सभी मध्यवर्ती सीमाओं का पालन करने के बाद) | अगले 5 वर्षों के लिए रणनीतिक योजना की समीक्षा को अंतिम रूप देना | दिनांक | -- | -- | 15/12/2011 | -- | -- |
| * मंत्रालय/विभाग की आंतरिक | सेवोत्तम का कार्यान्वयन | सिटीजन/क्लाइंट चार्टर के | दिनांक | -- | -- | 15/12/2011 | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दक्षता/प्रतिक्रियात्मकता/पारदर्शिता/<br>सेवा प्रदायगी में सुधार करना। | | कार्यान्वयन, मॉनीटर करना और उसकी समीक्षा करने के लिए एक सेवोत्तम अनुकूल प्रणाली का सृजन करना। | | | | | | |
| | | जन-शिकायतों के समाधन और मॉनीटर करने के लिए एक सेवोत्तम अनुपालक प्रणाली का सृजन करना। | दिनांक | -- | -- | 15/12/2011 | -- | -- |
| | सभी उत्तरदायी केन्द्रों (अधीनस्थ कार्यालय, संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकायों) के लिए आरएफडी विकसित करना। | शामिल उत्तरदायी केन्द्रों की प्रतिशतता | % | -- | -- | 95 | -- | -- |
| वित्तीय उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना। | सीएजी के लेंखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) का समय पर प्रस्तुतीकरण | वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा रिपोट के संसद में प्रस्तुतीकरण् की तारीख्र से नियत तारीख (4 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत | % | -- | -- | 90 | -- | -- |
| | संसद में प्रस्तुत सीएजी की रिपोटों के लेंखापरीक्षा पैराओं पर लम्बित एटीएन | वर्ष के दौरान बकाया एटीएन को निपटाने का प्रतिशत | % | -- | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | का 31.03.2011 से पूर्व शीघ्र निपटान | | | | | | | |
| | संसद में प्रस्तुत पीएसी की रिपोटों के संबंध मे लम्बित एटीआर का 31.03.2011 से पूर्व शीघ्र निपटान | वर्ष के दौरान बकाया एटीआर को निपटाने का प्रतिशत | % | -- | -- | 90 | -- | -- |
| | पीएसी की रिपोटों के संबंध में पीएसी सचिवालय को, की गई कार्रवाई रिपोटों(एटीआर) का समय पर प्रस्तुतीकरण | वर्ष के दौरान नियत तारीख (पीएसी द्वारा रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुतीकरण् की तारीख़ से 6 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत | % | -- | -- | 90 | -- | -- |
| *प्रशासनिक सुधार | संगठन की गतिविधियों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना का विकास करना। | भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना। | दिनांक | -- | -- | 90 | -- | -- |
| | आरटीआई अधिनियम, 2005 के खंड 4(1) (ख) का अनुपालन सुनिश्चित करना। | उन मदों की संख्या जिनके संबंध में 10 फरवरी, 2012 तक जानकारी अपलोड की गई है। | संख्या | -- | -- | 15/12/2011 | -- | -- |

* अनिवार्य उद्देश्य

**भाग - 4**

सफलता सूचकों का विवरण और परिभाषा
तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश काफी हद तक नया है और विकसित होने और सीपीएसई तथा निवेशकों की ओर से धीरे-धीरे स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया में है। इस कारण, तुरंत ही कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा सकती। यह तभी संभव होगा जब सभी प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसईस सहमत हों। हालांकि, अनिवार्य बजटीय संशोधनों को जुटाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई के साथ बातचीत के दौरान प्राप्त संकेतों के आधार पर एक अस्थायी योजना तैयार की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति और सीपीएसई की तैयारी को ध्यान में रखते हुए योजना की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और उसे अद्यतित किया जाता है। सफलता को, बजटीय अनुमानों/संशोधित अनुमान की तुलना में जुटाई गई धनराशि के आधार पर मापा जाता है।

तथापि, सार्वजनिक पेशकशें अनुपालन और नियामक प्राधिकरणों जैसे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ,भारतीय रिजर्व बैंक,कम्पनियों के रजिस्ट्रार के अनुमोदन पर निर्भर करती हैं। संबंधित सीपीएसई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना सार्वजनिक पेशकश के लिए सेबी का अनुमोदन मिलना असंभव है।

**भाग - 5**

**अन्य विभागों से विशिष्ट कार्यनिष्पादन अपेक्षाएं**

| **विभाग** | **प्रासंगिक सफलता सूचक** | **आपकी अपेक्षा क्या है?** | **यह अपेक्षा क्यों?** | **अपेक्षा की मात्रा** | **तब क्या होगा जब आपकी अपेक्षा पूरी न हो** |
|---|---|---|---|---|---|
| I. उस सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय जिसके शेयरों की पेशकश किया जाना सुनियोजित है | 1. 40,000 हजार करोड रू. की धनराशि जुटाना।<br>2. सार्वजनिक पेशकशों की संख्या | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सीपीएसई से उसकी निधि आवश्यकता और उसकी इच्छा की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है ताकि प्रस्ताव, विशेषकर भारत सरकार द्वारा बिक्री की पेशकश और सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम अर्थात पेशकश की मात्रा निर्धारित की जा सके। | सीपीएसई का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय, सीपीएसई में भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयर धारित करता है और पूंजी बाजार से जुटाई जाने वाली निधियों की मात्रा का अनुमान लगाने और उसकी सिफारिश करने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। उसे सीपीएसई के सम्मुख मुद्दों और उसमें भारत सरकार की धारिता की विशेष प्रतिशतता कायम रखने के रणनीतिक कारणों की भी समझ होती है। | पूर्ण सहमति | पेशकश नहीं की जा सकेगी। |
| 2.सीपीएसई का प्रशासनिक मंत्रालय<br>डीपीई<br>डीओपीटी | --वही-- | स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति | सूचीकरण के लिए अनिवार्य अपेक्षा | स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति में, उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त करने में इन सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुमोदन में विलंब होने या न मिलने या देर से मिलने से सार्वजनिक पेशकश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। | सेबी, सार्वजनिक पेशकश के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. डीपीई | --वही-- | 1. मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा देने से पहले, न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनिवार्य बना देना चाहिए।<br>2. असूचीबद्ध महारत्न सीपीएसईज को 2 वर्ष की अवधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए अन्यथा उसका दर्जा समाप्त माना जाए।<br>3. प्रत्येक वर्ष सीपीएसई के साथ सरकार द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में, सूचाकरण को सीपीएसई को पुरस्कृत किए जाने के लिए उचित भारिता के साथ प्रोत्साहन के एक मापदण्ड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। | चूंकि मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा सीपीएसई को अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है, इसलिए इसे उच्चतर उत्तरदायित्व के साथ-साथ ही चलना चाहिए ; इस शर्त से सीपीएसईज को सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार सूचीकरण के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। | पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। इससे अधिक से अधिक कंपनियों को पूंजी बाजार में उतारने के लिए एक अनुकूल परिवेश प्राप्त होगा और इस प्रकार विनिवेश नीति के उद्देश्य के साथ-साथ विनिवेश लक्ष्य भी प्राप्त होगा। | विनिवेश नीति के कार्यान्वयन और विनिवेश प्राप्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। |

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2011-2012)

## भाग - 6
## विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

| विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव | निम्नलिखित विभाग (गों)/मंत्रालय (यों) के साथ इस निष्कर्ष/प्रभाव पर संयुक्त रूप से असर डालने के लिए उत्तरदायी | सफलता सूचक | वित्त वर्ष 09/10 | वित्त वर्ष 10/11 | वित्त वर्ष 11/12 | वित्त वर्ष 12/13 | वित्त वर्ष 13/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 बजटीय संसाधन जुटाना और बाजार अनुशासन के माध्यम से सीपीएसईज में निगमित नियंत्रण में सुधार करना | विनिवेशित किए जा रहे सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय | सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि (आंकड़े करोड़ रुपये में हैं। वित्त वर्ष 12-13 और 13-14 के लिए आंकड़े, संघीय बजट 11-12 के प्रस्तुत मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत अनुमानित आंकड़ों के आधार पर आंके गए और संसद द्वारा अनुमोदित बजटीय लक्ष्यों के अध्यधीन हैं।) | 23553 | 22144 | 40000 | 30000 | 25000 |
| -वही- | -वही- | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राप्तियां। (यह मानते हुए कि संवेदी सूचकांक वर्ष 2010-11 के औसत संवेदी सूचकांक स्तर अर्थात 18605 के स्तर से ऊपर रहेगा।) (वित्त वर्ष 12-13 और 13-14 के लिए आंकड़े, संघीय बजट 11-12 के प्रस्तुत मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत अनुमानित आंकड़ों के आधार पर आंके गए और संसद द्वारा अनुमोदित बजटीय लक्ष्यों के अध्यधीन हैं।) | 0.36 | 0.29 | 0.45 | 0.29 | 0.22 |